SALE OF GOODS ACT, 1930

Topics – Sales; Contract of Sale; How is it made & Essential of a contract of Sale of Goods –

1. विक्रय (Sale) –

Sale of Goods Act, 1930 की Section 4(1) में विक्रय को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार – जब किसी संविदा में माल या निहित सम्पत्ति का हस्तान्तरण क्रेता को पूर्ण या आंशिक रूप से हो जाता है तो विक्रय कहलाता है। Example – जब क्रेता एक धान गोदाम से 10 कुन्तल धान क्रय करता है और तुरन्त ही उसका स्वामी बन जाता है। यह विक्रय कहलाता है। इसके अन्तर्गत क्रेता को विक्रय किये गये माल या सम्पत्ति पर स्वेच्छानुसार कार्य करने का अधिकार मिल जाता है।

2. माल के विक्रय की संविदा (Contract of Sale of Goods) –

According to Sale of Goods Act, 1930 U/s. 4(1) — माल के विक्रय की संविदा वह संविदा होती है जिसके द्वारा विक्रेता माल के स्वामित्व (Ownership) को क्रेता को एक मूल्य पर हस्तान्तरण करता है या करने का करार करता है। विक्रय की संविदा एक आंशिक स्वामी और दूसरे के बीच हो सकती है। विक्रय की संविदा स प्रतिबन्ध रहित (Absolute) या प्रतिबन्ध सहित (Conditional) हो सकेगी [U/s. 4(1) & (2)]

3. How mad Contract of Sale of Goods –

According to Sec. 5 S.O.G Act –

Seller – offer to Buyer – Accepted by Buyer.

or Buyer – offer to seller – Accepted by seller

जब विक्रय की संविदा के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा अपने माल के विक्रय का प्रस्ताव क्रेता को किया जाता है मूल्य के बदले और क्रेता द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। या क्रेता द्वारा विक्रेता के माल को क्रय करने का प्रस्ताव मूल्य के बदले विक्रेता को दिया जाता है जिसे विक्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो माल के विक्रय की संविदा पूर्ण हो जाती है।

4. माल के विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व (Essential Elements of a valid Contract of S.O.Gs) – माल विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व (सारवान तत्व) निम्न लिखित हैं। –

(a) दो पक्षकार

(b) संविदा की विषय वस्तु

(c) सम्पत्ति का हस्तान्तरण

(d) धन के रूप मे प्रतिफल (कीमत)

(e) पक्षकारों का संविदा करने में सक्षम एवं स्वतन्त्र सहमति

(a) दो पक्षकार (Both Parties) – माल विक्रय की संविदा का सर्वप्रथम आवश्यक तत्व यह है कि उसमे दो पक्षकार – एक क्रेता और दूसरा विक्रेता होना चाहिए और दोनों

व्यक्ति भिन्न- भिन्न होने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुएँ अथवा माल स्वयं को विक्रय नही कर सकता है।

इस सिद्धान्त का अनुमोदन उच्चतम न्यायालय ने - मैसर्स खेदुत सहकारी गिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में किया है। जिसमें सहकारी संघ के उपबन्धों के अधीन संघ के सदस्यों की रुई एकत्र करने, प्रोसेसिंग करने एवं उसके बाद बेचने का अधिकार था जो, बेचने के बाद मूल्य या कीमत उसके सदस्यों को अदा करता था, किया। S.C. के अनुसार संघ द्वारा अपने सदस्यों का एजेण्ट होने के नाते रुई एकत्र करना विक्रय नहीं है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता दो अलग- अलग व्यक्ति होने चाहिए।

<u>अपवाद</u> - उपरोक्त आवश्यक तत्व के निम्नलिखित अपवाद हैं। अर्थात यह निम्न पर लागू नहीं होता है

(i) <u>नीलामी विक्रय (Auction Sale)</u> -

According to Sec. 64(3) S.O.G. Act - नीलाम विक्रय में विक्रेता बोली लगाने का अधिकार आरक्षित कर अपनी वस्तु पर बोली लगा कर स्वयं भी खरीद सकता है।

(ii) <u>डिक्री का निष्पादन (Execution of Decree)</u> -

जब किसी व्यक्ति की वस्तुएँ किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रीत की जाती हैं तो वह अपनी वस्तुओं का क्रय कर सकता है।

(iii) आंशिक स्वामी के मध्य (Between Part owner)— माल विक्रय अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार किसी एक वस्तु का आंशिक स्वामी दूसरे आंशिक स्वामी से विक्रय की संविदा कर सकता है।

(b) संविदा की विषय वस्तु (Suject Matter of Contract)— संविदा की विषय वस्तु सदैव माल होनी चाहिए। माल की Sec 2(7) S.O.G.A में व्यापक परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार- माल में वे समस्त वस्तुएँ, चीजे एवं सामग्री शामिल है जिसके अन्तर्गत अनुयोज्य दावों को छोड़कर सभी प्रकार की चल सम्पत्ति, जिसमें स्टाक, शेयर, अंश, उगती फसलें, घास, भूमि से भूबद्ध ऐसी चीजें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अन्तर्गत भूमि से अलग किये जाने का करार किया गया है आती हैं।

इस प्रकार खड़े पेड़ भी बेचे जा सकते हैं, यदि विक्रय से पूर्व या विक्रय संविदा के अन्तर्गत उन्हें काटने या पृथक करने का उपबन्ध बनाया गया हो। इसी प्रकार जल, गैस और बिजली भी माल माने जाते हैं। फोटो को भी माल शब्द में सम्मिलित किया जाता है। डिक्री को भी माल माना जाता है और माल के तरह इसे भी बेचा जा सकता है। साथ ही गुड विल, ट्रेड मार्क, पेटेन्ट और कॉपी राइट व लाटरी-टिकट को भी माल माना जाता है।

जहाँ तक मुद्रा का प्रश्न है उसे माल शब्द में सम्मिलित नहीं माना गया है यहाँ मुद्रा का अर्थ चालू मुद्रा (Current Money) से है अर्थात जायज सिक्का -

(Currency Note)। चूँकि यह माल नहीं है इसलिए इसका विक्रय नहीं हो सकता है लेकिन पुराने सिक्के जो चालू सिक्के के रूप में नहीं है (जैसे-मुगल कालीन सिक्के) और ऐतिहासिक महत्व हैं माल माने जाते हैं और उनका विक्रय हो सकता है। विदेशी मुद्रा को भी माल माना जाता है और इस कारण विदेशी मुद्रा का क्रयविक्रय किया जा सकता है।

Cases - 1- C.M.T. Vs. M.P. Electricity Board A.I.R., 1970 S.C.

2. Hooper Vs. Gum, 1867.

3. Bitthal Das Vs. Jagjeevan A.I.R, 1939 Bom.

(C)- सम्पत्ति का हस्तान्तरण (Transfer of Goods or Property)-

सम्पत्ति का हस्तान्तरण माल विक्रय अधिनियम का तीसरा आवश्यक तत्व है माल विक्रय की संविदा के लिए यह आवश्यक है कि माल का या माल में की सम्पत्ति के स्वामित्व का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए या उसका करार किया जाना चाहिए। केवल कब्जे का परिदान माल विक्रय की संविदा नहीं माना जायेगा।

Example - 'A', 'B' को 20 मन गेहूँ 400 Rs में बेचने की संविदा करता है यह विक्रय की संविदा है। लेकिन यदि 'A' 'B' को बिना मूल्य लिये ही 10 मन गेहूँ देता है तो न तो यह विक्रय की संविदा ही है और न ही विक्रय है।

Case 1- Sales Tax. Nabgaon Vs Timber & Fuel Corp. Teekamganj SC

Case 2. East India Hotels Ltd. Vs. U.O.I. - S.C.

(d) कीमत (Price)- यह माल के विक्रय की संविदा का चौथा आवश्यक तत्व है। माल के विक्रय का प्रतिफल कीमत के रूप में हस्तान्तरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में विक्रय की संविदा में प्रतिफल हमेशा धन होता है। जहाँ माल बिना लिये ही हस्तान्तरित किया जाता है तो यह विक्रय नही बल्कि दान कहलाता है। इसी प्रकार जब माल के बदले माल दिया जाता है तब इसे विक्रय नही बल्कि विनिमय (Exchange) कहा जाता है। अतः माल का विक्रय तभी माना जाता है जब माल का मूल्य मुद्रा में किया जाये। इसे हम माल की कीमत (Price) कहते हैं। लेकिन यदि वस्तुओं के आदान-प्रदान के साथ कीमत का कुछ भाग धन के रूप में दिया जाता है तो यह विक्रय की संविदा होगी। कोई संविदा विक्रय है या विनिमय यह संविदा के सारवान तत्वो पर निर्भर करती है कि प्रतिफल धन के रूप में है या माल के रूप में है परन्तु संविदा में प्रयुक्त शब्दो द्वारा सेव्यवहार को विक्रय बनाना चाहते है तथा प्रयुक्त शब्द विक्रय के लिए उपयुक्त हैं। तो उस संविदा को विक्रय ही माना जायेगा, विनिमय नही जैसे पुरानी वस्तुओं को बदलकर नई वस्तुओ को प्रदान करना भी विक्रय कहा जासकता है

(e) पक्षकारो का संविदा करने में सक्षम एवं स्वतन्त्र सहमति होना (The Parties are Capable to Contract have free Consent)-

यह विक्रय की संविदा पांचवा व अन्तिम आवश्यक तत्व है। एक विधिसम्मत संविदा के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकार सक्षम हो और उनके मध्य स्वतन्त्र सहमति हो -

अर्थात संविदा के सक्षम पक्षकार तभी होंगे जब वह नाबालिग न हो, पागल या मानसिक रूप से अक्षम न हो या विधि द्वारा उन्हे संविदा करने हेतु निषिद्ध न किया गया हो इसी प्रकार विक्रय की संविदा के पक्षकारों के मध्य स्वतन्त्र सहमति तभी होगी जब ऐसी सहमति भय, कपट, मिथ्यापदेशन, अनुचित दबाव एवं भूल के अधीन न दी गई हो। यह अवलोकनीय है विक्रय का विधिअर्थ सम्पत्ति को क्रेता को अन्तरित होने से, जो सशर्त भी हो सकता है अथवा पूर्ण या आन्यवयिक (Constructive) भी हो सकता है।